न्यूज़ टुडे

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) ने 'आधार' के संबंध में निजता की सुरक्षा और एक ही व्यक्ति को डुप्लीकेट आधार कार्ड जारी होने पर आपत्ति प्रकट की है

- **कैग (CAG)** ने "भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI)" के कामकाज और परफॉरमेंस के बारे में पहली बार एक समीक्षा रिपोर्ट तैयार की है। इसी रिपोर्ट में **'आधार' नंबर** के बारे में ये टिप्पणियां की गई हैं।
  - **वर्ष 2010** से 'आधार' कार्ड बनाने का कार्य शुरू हुआ था। यह **दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक आधारित पहचान प्रणालियों में से एक** है। **इसकी कार्यान्वयन एजेंसी UIDAI है।**
  - आधार कानून, 2016 के पास होने के बाद UIDAI को एक **कानूनी संस्था का दर्जा** प्राप्त हुआ। आधार कानून, 2016 का पूरा नाम है– **"आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016** {Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016}।
- **इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों पर एक नज़रः**

मुद्दे / चिंताएं	सुझाव
निवास स्थिति (residential status) की पुष्टि के लिए UIDAI द्वारा **कोई भी विशेष प्रूफ / डॉक्यूमेंट या प्रक्रिया का उल्लेख नहीं** किया गया है। ➢ आधार कानून के अनुसार, गैर–निवासी व्यक्ति आधार के लिए तभी आवेदन कर सकते हैं, जब वे पिछले 1 साल में **182 दिनों** के लिए भारत में रहे हों। ➢ कैग की रिपोर्ट के अनुसार, **UIDAI के पास इसे सत्यापित करने का कोई तरीका उपलब्ध नहीं है।**	इसके लिए कैग की रिपोर्ट में स्व–घोषणा (self–declaration) के अलावा, एक उचित कार्यपद्धति अपनाने और आवश्यक डाक्यूमेंटेशन की सिफारिश की गयी है।
UIDAI ने अधूरी जानकारी और बेकार गुणवत्ता वाले बायोमेट्रिक के साथ आधार नंबर जारी किए हैं। ऐसे में **एक ही व्यक्ति को डुप्लीकेट आधार कार्ड जारी करने के मुद्दे,** दोहराव / फर्जीवाड़ा को समाप्त करने की प्रक्रिया में **खामियों का संकेत** देते हैं।	बॉयोमीट्रिक सेवा प्रदाताओं के **सर्विस लीगल एग्रीमेंट्स** के मानकों को सख्त करने की जरूरत है।
पांच साल से कम उम्र के नाबालिग बच्चों को आधार नंबर (यानी **बाल आधार**) जारी करना, **आधार कानून के मूल सिद्धांत के विरुद्ध** है। इसकी **भारी लागत वहन करनी पड़ी है।**	बायोमेट्रिक की **विशिष्टता (uniqueness) को कैप्चर (संग्रहित) करने के लिए वैकल्पिक तरीकों को तलाशने की जरूरत है।**
सभी **आधार कार्ड्स को व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित डाक्यूमेंट्स के साथ नहीं जोड़ा गया है।**	अनुपलब्ध डाक्यूमेंट्स की पहचान करने और इनका मिलान करने के लिए **सक्रिय कदम उठाने की जरूरत है,** ताकि किसी भी कानूनी जटिलता से बचा जा सके।
सत्यापन त्रुटियों (uthentication errors) के लिए **जिम्मेदार कारकों का पता लगाने के लिए कोई सिस्टम मौजूद नहीं** है।	जिन मामलों में विफलता सामने आयी है, उनका विश्लेषण करके **सत्यापन मामलों की सफलता दर में सुधार** किया जाना चाहिए।
भारत में आधार कार्ड सिस्टम से जुड़ने के लिए **अलग–अलग संस्थाएँ और ऑथेंटिकेशन सर्विस एजेंसियाँ** आवेदन करती हैं। कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि, आधार इकोसिस्टम में शामिल किये जाने से पहले उनकी **अवसंरचना और तकनीकी सहायता दल का कोई सत्यापन नहीं** किया जाता है।	ऐसी संस्थाओं की सेवा लेने से पहले इनकी अवसंरचना और तकनीकी सहायता दल का पूरी तरह से सत्यापन जरूरी है।
डेटा को भंडारित करने के लिए **कोई आर्काइव नीति मौजूद नहीं** है। जबकि, आर्काइव नीति को डेटा आदि के भंडारण और प्रबंधन के मामले में सबसे बढ़िया तरीका माना जाता है।	आर्काइव नीति के होने से **मूल्यवान डेटा स्पेस के भर जाने जैसी स्थिति नहीं** आती है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने सेमीकंडक्टर मिशन का संचालन और मार्गदर्शन करने के लिए 17 सदस्यीय समिति का गठन किया

- MeitY ने सरकार के **76,000 करोड़ रुपये के सेमीकंडक्टर मिशन** का संचालन और मार्गदर्शन करने के लिए एक सलाहकार समिति के गठन की घोषणा की है।
  - **इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम** के लिए **एक समर्पित संस्था** के रूप में स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य एक संधारणीय **सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम** का विकास करना है।
  - इस कार्यक्रम के एक भाग के रूप में सरकार ने सिलिकॉन सेमीकंडक्टर फैब, डिस्प्ले फैब आदि से जुड़ी कंपनियों के लिए **अनेक प्रोत्साहन और समर्थन योजनाओं की घोषणा** की है।
- इस समिति के **अध्यक्ष** इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री होंगे। इसके **सदस्य** के रूप में सरकारी अधिकारी तथा उद्योग और शिक्षा जगत के लोग शामिल होंगे।
  - MeitY के राज्य मंत्री और सचिव क्रमशः इस समिति के **उपाध्यक्ष तथा कन्वेनर** होंगे।
- **इस समिति को निम्नलिखित विषयों पर महत्वपूर्ण सुझाव देना है:**
  - एक **लचीली आपूर्ति श्रृंखला** का निर्माण करने और निवेश को बढ़ावा देने के विषय पर,
  - **वित्तीय तंत्र** और वैश्विक जुड़ाव के विषय पर,
  - **अनुसंधान और नवाचार** तथा सेमीकंडक्टर आदि के लिए बौद्धिक संपदा के सृजन पर।
- **सेमीकंडक्टर या अर्धचालक:** यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में विद्युत प्रवाह को मैनेज और कंट्रोल करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक भौतिक पदार्थ होता है।
- **सेमीकंडक्टर की बढ़ती मांग के लिए उत्तरदायी कारक:**
  - **डिजिटलीकरण** में तीव्र वृद्धि;
  - इंटेलीजेंट कंप्यूटिंग की क्षमता में **तकनीकी प्रगति;**
  - **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो रही वृद्धि;** आदि।

- **सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में आने वाली चुनौतियाँ:**
  - चिप मैन्युफैक्चरिंग की प्रक्रिया बहुत अधिक जटिल है,
  - इसमें बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता होती है,
  - इससे संबंधित कुशल कार्यबल की भी कमी है, आदि।

आकाशीय बिजली (Lightning) गिरने से होने वाली मौत

- लोक सभा में एक लिखित उत्तर के माध्यम से, **पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES)** ने आकाशीय बिजली गिरने के प्रभाव को कम करने के लिए **किए गए उपायों के बारे में जानकारी प्रदान की है।**
- **आकाशीय बिजली (Lightning): यह वायुमंडल में विद्युत का त्वरित और व्यापक पैमाने पर होने वाला डिस्चार्ज है।** आकाशीय बिजली की घटना के बाद **कुछ विद्युत धारा की दिशा पृथ्वी की सतह की ओर हो जाती है।**
  - ये विद्युत डिस्चार्ज 10–12 कि.मी. लंबवत आकार के **विशाल नमी वाले बादलों में उत्पन्न** होते हैं। साधारणतः इन बादलों का आधार पृथ्वी की सतह से 1–2 कि.मी. की ऊँचाई पर और शीर्ष 12–13 कि.मी. की ऊँचाई पर होता है।
- **आकाशीय बिजली का निर्माण:** बड़े बादलों में **बर्फ के क्रिस्टल ऊपर और नीचे गति करने के क्रम में** आपस में टकराते है। टकराने की इस प्रक्रिया से इलेक्ट्रॉन्स मुक्त होते हैं। इस प्रकार गतिशील स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन्स का और अधिक टकराव होता है। इससे और अधिक इलेक्ट्रॉन्स मुक्त होते हैं। फलतः एक श्रृंखला अभिक्रिया आरंभ हो जाती है।

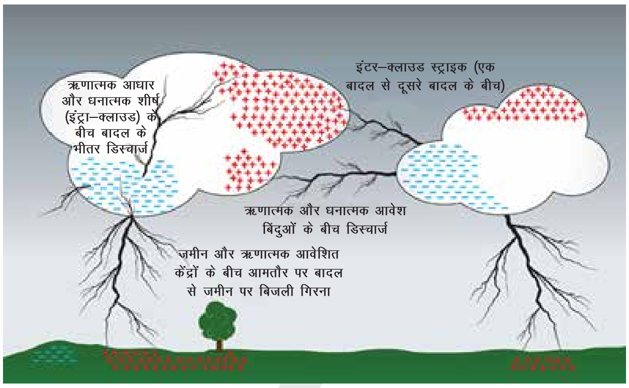

  - इसके परिणामस्वरूप बादल की ऊपरी परत धनात्मक रूप से आवेशित हो जाती है जबकि मध्य परत ऋणात्मक रूप से आवेशित हो जाती है। इससे दोनों परतों के बीच **अत्यधिक विद्युत विभवांतर (potential difference) बन जाता** है।
  - इस विभवांतर के कारण विद्युत धारा का निर्माण होता है **(इन्फोग्राफिक देखें)।**
  - चूंकि पृथ्वी विद्युत की सुचालक है, इसलिए लगभग 15% – 20% आकाशीय बिजली की दिशा पृथ्वी की ओर मुड़ जाती है।
- **सरकार द्वारा की गई पहल:**
  - **पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय** द्वारा तड़ित–झंझा (thunderstorms) और इससे संबंधित मौसमी परिघटनाओं के लिए **पांच दिन पहले ही पूर्वानुमान और चेतावनी जारी की जाती है।**
  - **भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (Indian Institute of Tropical Meteorology: IITM), पुणे** द्वारा **लाइटनिंग लोकेशन नेटवर्क** स्थापित किया गया है।
  - आकाशीय बिजली की सभी गतिविधियों की निगरानी के लिए IITM ने **दामिनी लाइटनिंग** ऐप विकसित किया है।
  - राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा इसके संबंध में एडवाइजरी भी जारी की जाती है।

केवल भारतीय संस्थाएं ही मैपिंग और स्थलीय सर्वेक्षण कर सकती हैं

- केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने स्पष्ट किया है कि **केवल भारतीय संस्थाओं को ही मोबाइल–मैपिंग और स्ट्रीट–व्यू सर्वे करने की अनुमति दी जाएगी।** भारतीय अधिकार क्षेत्र में आने वाले समुद्री जल के मामले में भी ये शर्तें लागू होंगी।
  - वर्ष 2021 में जारी **"मानचित्रों सहित जियोस्पेटियल डेटा और जियोस्पेटियल डेटा सेवाओं की प्राप्ति और सृजन के लिए दिशा–निर्देश"** में भारतीय संस्थाओं को परिभाषित किया गया है। ये दिशा–निर्देश विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा जारी किये गए हैं।
- जियोस्पेटियल (भू–स्थानिक) डेटा वह जानकारी है जो **पृथ्वी की सतह पर या उसके निकट किसी स्थान पर वस्तुओं, घटनाओं या अन्य विशेषताओं का वर्णन** करती है।
- **जियोस्पेटियल डेटा के दो मुख्य प्रकार हैं:**
  - **वेक्टर डेटा (Vector Data):** यह भौगोलिक विशेषताओं की अवस्थिति (लोकेशन) और आकार को दिखाने के लिए ज्यामितीय आकृतियों का उपयोग करता है। इसमें **बिंदु (पॉइंट्स), रेखाएं (लाइन्स) और बहुभुज (polygons)** शहरों, सड़कों और जलमार्ग जैसी चीजों को दिखाने के लिए संकेत का काम करती हैं।
  - **रैस्टर डेटा (Raster Data):** यह एक डिजिटल इमेज जैसे स्कैन किए गए मैप या फोटोग्राफ के माध्यम से डेटा को प्रदर्शित करता है। यह एक इमेज के साथ पिक्सल या ग्रिड के रूप में डेटा रिकॉर्ड करने के लिए सेल–आधारित फॉर्मेट का उपयोग करता है।

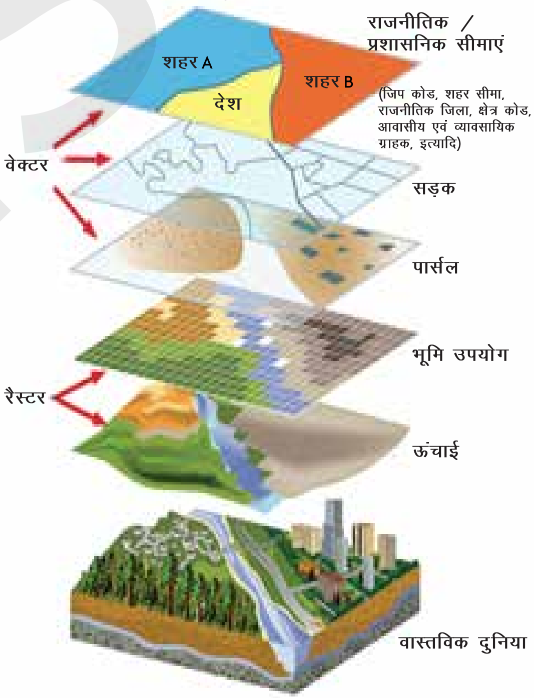

- **जियोस्पेटियल डेटा का महत्व:**
  - यह **अर्थव्यवस्था के विविध क्षेत्रों को** महत्वपूर्ण रूप से **लाभ** प्रदान करेगा। साथ ही, यह देश में **नवाचार को भी बढ़ावा** देगा।
  - यह **आपातकाल में सहायता पहुँचाने या उचित प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहने** में मदद करेगा।
  - भारत, वर्तमान समय में **मैपिंग प्रौद्योगिकियों और सेवाओं के लिए विदेशी संसाधनों पर बहुत अधिक निर्भर** है। इसलिए, यह **आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा।**

भारत का कृषि निर्यात वर्ष 2021–22 के दौरान 50 अरब डॉलर के ऐतिहासिक स्तर पर पहुँच गया

- वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी प्रोविजनल आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2021–22 के दौरान कृषि निर्यात में **19.92% की वृद्धि** हुई है। यह बढ़कर 50.21 अरब डॉलर के स्तर पर पहुँच गया है।
  - यह वृद्धि **वर्ष 2020–21** में हासिल की गयी **17.66% की वृद्धि की तुलना में अधिक** है। वर्ष 2020–21 में इस वृद्धि की वजह से **41.87 अरब डॉलर** का कृषि निर्यात दर्ज किया गया था।
  - चावल, गेहूँ, चीनी, और अन्य अनाज जैसी **मुख्य फसलों** के मामले में अब तक का सर्वाधिक निर्यात दर्ज किया गया है।
  - **समुद्री उत्पादों** का भी अब तक का सर्वाधिक निर्यात (7.71 बिलियन डॉलर) दर्ज किया गया है।
- **कृषि निर्यात का महत्व:**
  - कृषि निर्यात में वृद्धि से **उत्पादन की लागत** कम हो जाती है। ऐसा कम इनपुट लागत के बावजूद अधिक उत्पादन (इकोनॉमी ऑफ़ स्केल) के चलते संभव हो पाता है।
  - इससे कृषि उपज के लिए **बेहतर मूल्य** प्राप्त होता है।
  - **उत्पाद की गुणवत्ता और पैकेजिंग** में सुधार होता है।
  - **व्यापार से संबंधित अनुसंधान और विकास** को बढ़ावा मिलता है।
  - **रोजगार के अवसरों** में वृद्धि होती है।
- **कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम:**
  - किसानों की आय बढ़ाने, निर्यात क्षमता का दोहन करने और **भारत को कृषि क्षेत्र में अग्रणी** देश बनाने के लिए **कृषि निर्यात नीति** की घोषणा की गयी है।
  - कुछ विशेष कृषि उत्पादों के लिए **परिवहन और मार्केटिंग सहायता** की घोषणा की गयी है। इसके तहत निर्यात हेतु माल ढुलाई के लिए सहायता दी जाती है।
  - **किसानों, किसान उत्पादक संगठनों/किसान उत्पादक कंपनियों, सहकारी समितियों** के लिए एक **किसान कनेक्ट पोर्टल** स्थापित किया गया है। इसके माध्यम से निर्यातकों से संपर्क बनाने में मदद मिलती है।
  - विदेशों में स्थित **भारतीय मिशनों** के साथ नियमित आधार पर संवाद किया जाता है।
  - एपीडा (APEDA), एमपीडा (MPEDA), टी–बोर्ड आदि की **निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं** के तहत निर्यातकों को सहायता प्रदान की जाती है।

नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने लाइसेंस परीक्षा के बाद डॉक्टर्स के राष्ट्रीय रजिस्टर के लिए मसौदा दिशा–निर्देश जारी किये हैं

- NMC ने **डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन पर तीन मसौदा दिशा–निर्देशों का एक सेट जारी किया** है।
  - वर्तमान में, **सभी डॉक्टर्स को अपने–अपने राज्य चिकित्सा परिषदों में रजिस्ट्रेशन कराना होता है।** इसके बिना वे मेडिसिन की प्रैक्टिस नहीं कर सकते।
- **इन मसौदा दिशा–निर्देशों के तहत मुख्य प्रावधानों पर एक नज़रः**

लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन, 2022	○ यह डॉक्टर्स के लिए एक **डायनेमिक नेशनल मेडिकल रजिस्टर** बनाने का प्रावधान करता है। ➢ प्रत्येक डॉक्टर को एक विशिष्ट पहचान–पत्र (ID) दिया जायेगा। इसे **एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड (EMRB)** द्वारा जारी किया जायेगा। ➢ मेडिसिन की प्रैक्टिस का लाइसेंस NMC द्वारा जारी किया जायेगा। ○ भारत में **मेडिकल ग्रेजुएट्स** निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के बाद ही मेडिसिन प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस प्राप्त करने और रजिस्ट्रेशन के लिए पात्र होंगेः ➢ मान्यता प्राप्त कॉलेज से **MBBS डिग्री,** ➢ **एक साल के लिए अनिवार्य इंटर्नशिप,** और ➢ नेशनल एग्जिट टेस्ट (NExT) पास करने पर। ■ NExT, भारत में मेडिसिन की प्रैक्टिस करने के लिए **लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए एक प्रस्तावित परीक्षा** है। ○ विदेशों से मेडिसिन ग्रेजुएट्स की डिग्री प्राप्त किये डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए भी दिशा–निर्देश प्रदान किये गए हैं।
रजिस्ट्रेशन ऑफ़ एडिशनल क्वॉलिफिकेशंस, 2022	○ यह NMC कानून के तहत **रजिस्ट्रेशन के लिए** अतिरिक्त योग्यता, यानी प्राथमिक चिकित्सा योग्यता (जैसे– पोस्टग्रेजुएट डिग्री) के अलावा **अन्य योग्यता की पहचान** करता है।
भारत में मेडिसिन की प्रैक्टिस करने के लिए विदेशी चिकित्सा पेशेवरों का अस्थायी रजिस्ट्रेशन	○ स्वास्थ्य मंत्रालय की बजाय NMC अब ऐसे डॉक्टर्स को **अस्थायी रजिस्ट्रेशन** प्रदान करेगा। ○ यह **व्यक्तिगत और संस्थागत स्पॉन्सर (प्रायोजक) के लिए भी मानदंड निर्धारित** करता है। स्पॉन्सर्स को मेडिसिन की प्रैक्टिस करने वाले पेशेवरों के आचरण के लिए जिम्मेदार बनाया गया है।

अन्य सुर्खियाँ

 दंड प्रक्रिया (पहचान) विधेयक, 2022 {Criminal Procedure (Identification) Bill, 2022}	○ संसद ने **दंड प्रक्रिया (पहचान) विधेयक, 2022** को स्वीकृति प्रदान कर दी है। ○ इसके पास होने से अब **कैदी पहचान कानून, 1920** निरस्त हो जाएगा। ○ इसमें **दोषी, गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के रेटिना और आईरिस स्कैन** सहित **भौतिक और जैविक नमूनों** के संग्रह, भंडारण और विश्लेषण की अनुमति प्रदान की गई है। ○ **नोटः** इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए, कृपया **29 मार्च 2022 का न्यूज़ टुडे** देखें।
 केंद्रीय तिब्बती राहत समिति {Central Tibetan Relief Committee (CTRC)}	○ **केंद्र सरकार ने दलाई लामा की CTRC को 40 करोड़ रुपये अनुदान सहायता प्रदान करने वाली योजना को फिर से अगले पांच वर्षों** (2025–26) के लिए बढ़ा दिया है। ○ वर्ष 1981 में गठित CTRC एक **गैर–लाभकारी संगठन** है। यह भारत, नेपाल और भूटान में निर्वासित **तिब्बती शरणार्थियों के कल्याण और सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए समर्पित है।** ➢ CTRC, भारत में **सोसायटी पंजीकरण कानून, 1860** के तहत पंजीकृत है। ○ CTRC वस्तुतः केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (CTA) के **डिपार्टमेंट ऑफ़ होम (गृह विभाग) की एक राहत शाखा** है। इसमें भारत, नेपाल और भूटान में तिब्बती बस्तियों के सदस्य शामिल हैं। ➢ वर्ष 1959 में, दलाई लामा ने तिब्बत के निर्वासित प्रशासन की स्थापना की थी। तिब्बत के निर्वासित प्रशासन का नाम CTA रखा गया है। यह समिति स्वतंत्र तिब्बती सरकार की सूचक है।
NAMAMI GANGE **जिला गंगा समितियां {District Ganga Committees (DGCs)}**	○ जल शक्ति मंत्री ने DGCs की **परफॉरमेंस मॉनिटरिंग सिस्टम** के लिए एक **डिजिटल डैशबोर्ड** का शुभारंभ किया है। ○ गंगा नदी बेसिन के आस–पास अवस्थित जिलों में DGCs का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य गंगा और उसकी सहायक नदियों में जल व कचरा प्रबंधन और प्रदूषण रोकथाम में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। ○ **DGCs को सौंपे गए कार्यः** ➢ **नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत सृजित परिसंपत्तियों** का समुचित उपयोग सुनिश्चित करना। ➢ गंगा और उसकी सहायक नदियों में गिरने वाले **दूषित जल / अपशिष्ट की निगरानी करना।** ➢ गंगा के कायाकल्प के साथ **लोगों का मजबूत जुड़ाव स्थापित करना,** आदि। ○ **जिला कलेक्टर DGCs के अध्यक्ष होते हैं।**
CLEAN ENERGY MINISTERIAL **क्लीन एनर्जी मिनिस्टीरियल (CEM)**	○ भारत द्वारा "क्लीन एनर्जी मिनिस्टीरियल (CEM)" के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकों की मेजबानी की जा रही है। ➢ इस बैठक के एक भाग के रूप में **एनर्जी ट्रांजिशन, स्वच्छ ऊर्जा, ग्रीन स्टील और हाइड्रोजन** जैसे विषयों पर चर्चा की गई। ○ CEM, 29 सदस्य देशों का एक उच्च स्तरीय वैश्विक मंच है। यह मंच **ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं को आपस में साझा कर** स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने वाली नीतियों और कार्यक्रमों को प्रोत्साहन प्रदान करता है। ○ यह क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में तीव्रता लाने के लिए **विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और कंपनियों को एक साझा मंच प्रदान करता है।**

राष्ट्रीय कैलेंडर (National calendar)

- भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाने की 65वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है।
- राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में:
  - यह शक संवत् पर आधारित है। इसे सरकार द्वारा ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था।
    - यह कैलेंडर **78 ई.** में राजा शालिवाहन के सिंहासन ग्रहण करने (राज्याभिषेक) पर आधारित है।
  - इस कैलेंडर के तहत एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। वर्ष की शुरुआत **चैत्र** मास से होती है।
  - इसके अंतर्गत **नया साल एक सामान्य वर्ष में 22 मार्च** से शुरू होता है, और **लीप वर्ष में 21 मार्च से।**
  - इसे **कैलेंडर सुधार समिति (मेघनाद साहा की अध्यक्षता में)** की सिफारिश पर अपनाया गया था।
  - इसका उपयोग **भारत के राजपत्र, आकाशवाणी द्वारा प्रसारित समाचार, जनता को संबोधित सरकारी संचार** और सरकार द्वारा **जारी कैलेंडर में** किया जाता है।

सरस्वती सम्मान (Saraswati Samman Award)

- वर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान **प्रोफेसर रामदरश मिश्र** को उनके हिंदी काव्य संग्रह **"मैं तो यहां हूँ"** के लिए दिया गया है।
- इस पुरस्कार को **के. के. बिड़ला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 1991** में स्थापित किया गया था। सरस्वती सम्मान देश के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है।
- इस पुरस्कार के लिए पात्र भाषाएँ भारत के **संविधान में दर्ज 22 अनुसूचित भाषाएँ** हैं।
- इसमें एक प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका और 15 लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाता है।

सुर्खियों में रहे स्थल (Places in News)

तुर्की (राजधानी: अंकारा)

- हाल ही में, तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने शासन को मजबूत करने के लिए चुनाव से संबंधित कानूनों में बदलाव को मंजूरी प्रदान की है।
- तुर्की एक बड़ा प्रायद्वीप है। यह यूरोप महाद्वीप (पूर्वी थ्रेस के माध्यम से) और एशिया (अनातोलिया पठार के माध्यम से) महाद्वीप के बीच सेतु के रूप में अवस्थित है।
- **राजनीतिक सीमाएँ:**
  - उत्तर–पश्चिम में बुल्गारिया और ग्रीस;
  - पूर्व में जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान और ईरान; तथा
  - दक्षिण में सीरिया और इराक़।
  - इससे रूस, यूक्रेन और रोमानिया काला सागर के माध्यम से जुड़े हुए हैं।

- **भौगोलिक विशेषताएँ:** डार्डानेल्स, मरमरा सागर, और बोस्पोरस जलडमरूमध्य तुर्की को यूरोप और एशिया के बीच विभाजित करते हैं। साथ ही, ये काला सागर को भूमध्य सागर (एजियन सागर के माध्यम से) से जोड़ते हैं।
  - **सबसे बड़ी झील:** वान झील
  - **मुख्य नदियाँ:** यूफ्रेट्स (फ़रात), किज़िलीरमक और सकारिया
  - **सबसे ऊंची चोटी:** माउंट अरारत

8468022022, 9019066066
www.visionias.in
/c/VisionIASdelhi /Vision_IAS /visionias_upsc /VisionIAS_UPSC
दिल्ली लखनऊ जयपुर हैदराबाद पुणे अहमदाबाद चड़ीगढ गुवाहटी